न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी -- श्री पी0 आर0 मीना,आर ए एस

अपील संख्या--आरटीए/21/2021

उनवान

1. गोपी जाट पुत्र मेधा जाट निवासी ईनानी खेडा तहसील हुरडा जिला भीलवाड़ा।

अपीलार्थीगण

बनाम

1. लक्ष्मण पुत्र मेधा जाट निवासी ईनानी खेडा तहसील हुरड़ा जिला भीलवाड़ा।
2. कंकू देवी पत्नि लक्ष्मण जाट निवासी ईनानी खेडा तहसील हुरडा जिला भीलवाड़ा।
3. प्रेम देवी पत्नि हेमराज जाट निवासी आपलियास तहसील हुरडा जिला भीलवाड़ा।
4. रामचन्द्र पुत्र मेधा जाट निवासी ईनानी खेडा तहसील हुरडा जिला भीलवाड़ा।
5. राजस्थान सरकार जरिये पेरोपकार सरकार तहसीलदार हुरड़ा जिला भीलवाड़ा।

----रेस्पोडेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा
के प्रकरण संख्या 281/2018 निर्णय दिनांक 01.07.2019

अभिभाषक :

1. श्री राजेश मेहता, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. अनुपस्थित प्रत्यर्थीगण अधिवक्ता

आदेश

दिनांक 18.02.2026

अपीलाधीन मामले के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया किवादी एव प्रतिवादी नम्बर 01 से 04 की संयुक्त मालिकाना हक व स्वामित्व की कृषि आराजियात वाके ग्राम सोडार पटवार हल्का सोडार भू अभिलेख क्षेत्र सरेरी तहसील हुरडा मे खाता संख्या नया 42 पुराना 551 के अनुसार आराजी नम्बर 2307 रकबा 13 बिस्वा, 2309 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा, 2312 रकबा 01 बीघा 14 बिस्वा, 2313 रकबा 01 बीघा 19 बिस्वा, 2316 रकबा 01 बीघा 18 बिस्वा, 2317 रकबा 05 बिस्वा, 2318 रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा, 2319 रकबा 12 बिस्वा, 2322 रकबा 18 बिस्वा, 2323 रकबा 02 बिस्वा 2324 रकबा 13 बिस्वा, 2327 रकबा 12 बिस्वा, 2331 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, 2334 रकबा 08 बिस्वा 2335 रकबा 02 बीघा 15 बिस्वा कुल किता 15 कुल रकबा 16 बीघा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

02 बिस्वा स्थित होकर राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 04 के नाम पर संयुक्त खातेदारी हक से दर्ज है। जिसमे वादी का 1/5 प्रतिवादी संख्या 01 से 04 प्रत्येक का 1/5, 1/5 हक हिस्सा निहित है।

2. वादी एवं प्रतिवादी नंम्बर 01 से 04 की संयुक्त मालिकाना हक व स्वामित्व की कृषि आराजियात वाके गाम ईनाणी खेडा पटवार हल्का सोडार भू अभिलेख क्षेत्र सरेरी तहसील हुरडा में खाता संख्या नया 152 पुराना 149 के अनुसार आराजी नम्बर 35 रकबा 05 बीघा 10 बिस्वा 53 रकबा 02 बीघा 05 बिस्वा 212 रकबा 01 बीघा 18 बिस्वा 478 रकबा 10 बीघा 16 बिस्वा. 479 रकबा 19 बिस्वा, 491 रकबा 04 बीघा 10 बिस्वा 502 रकबा 05 बीघा 04 बिस्वा 517 रकबा 02 बीघा 02 बिस्वा 518 रकबा 02 बिस्वा, 519 रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा, 520 रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा 535 रकबा 17 विस्वा, 536 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा, 859/490 रकबा 14 बिस्वा, कुल किता 14 कुल रकबा 41 बीघा 11 बिस्वा स्थित होकर राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 04 के नाम पर संयुक्त खातेदारी हक से दर्ज है। जिसमे वादी का 1/5 प्रतिवादी संख्या 01 से 04 प्रत्येक का 1/5,1/5 हक हिस्सा निहित है।

3. वादग्रस्त आराजियात संयुक्त आराजियात होने से आयेदिन जमीन की कमी बेशी को लेकर जमीन को जोतने बोने व काटने में दखलंदाजी करते है इसलिए माफिक निहित हक हिस्सा संयुक्त आराजियात का विभाजन कर अलग से लगान फाटनी तय कर राजस्व रेकार्ड में अलग नाम से खाता विभाजन आवश्यक है।

4. अत श्रीमान से प्रार्थना है कि वादी का वाद पत्र स्वीकार फरमाया जाकर बटवाडे की प्रारम्भिक वं अन्तिम डिक्री बहक वादी खिलाफ प्रतिवादी नंम्बर 01 से 04 इस आशय की पारित फरमाई जावे कि वाद पत्र की चरण संख्या 01 व 02 में वर्णित आराजियात में वादी का 1/5 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 01 का 1/5 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 02 का 1/5 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 03 का 1/5 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 04 का 1/5 हिस्सा निहित है और उक्त आराजियात का माफिक हक हिस्सा व रेकार्ड के अनुसार विभाजन कर प्रत्येक का नाम उनके हिस्से अनुसार राजस्व रेकार्ड में पृथक से लगान फाटनी तय कर हिस्सा विभाजन की डिक्री पारित फरमायी जावें।

5. अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं बाद विचारण वादी का वाद स्वीकार किया गया । जिससे

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

व्यथित होकर अपीलार्थी ने यह प्रथम अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

6. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रत्यर्थी के अनुपस्थित रहने पर अधिवक्ता अपीलार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

7. अपीलार्थी की ओर से योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय दिनांक 01.07.2019 की अपीलान्ट प्रतिवादी को कोई जानकारी नहीं थी। हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 02.01.2021 को अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की पालना हेतु मौके पर बुलाया गया तब अपीलान्ट को उक्त निर्णय की प्रथम बार जानकारी हुई। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गए निर्णय दिनांक 01.07.2019 से तारीख जानकारी दिनांक 02.01.2021 तक के समय को कन्डोन किया जाना आवश्यक होकर न्यायहित मे है।

8. अतः निवेदन है कि अपीलार्थी वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानी जावे।

9. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी का वादपत्र प्राथमिक डिकी करने मे भारी कानूनी भूल की हैं।

10. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय ने वादी रेस्पाडेन्ट नंबर 1 के वादपत्र को दिनाक 21–12–2018 को दर्ज कर प्रतिवादीगण की उपस्थिति हेतु दिनांक 22–01–2019 के सम्मन जारी किये गए मगर उक्त सम्मन अपीलान्ट गोपी जाट को कभी भी नही मिले और उसके सम्मन दिगर प्रतिवादिया नंबर 2 श्रीमति प्रेम देवी निवासी आपलियास को ही दे दिए गए जब कि अपीलान्ट गोपी जाट ग्राम ईनानी खेडा का रहने वाला है और गोपी जाट के सम्मन पर श्रीमति प्रेम देवी ने ही अपने हस्ताक्षर कर किये और अन्य प्रतिवादीगण के सम्मन भी तामील कुनिन्दा द्वारा श्रीमति प्रेम देवी को दे दिए गए एवं सभी प्रतिवादीगण के सम्मन पर तामील कुनिन्दा द्वारा किसी प्रकार की कोई हल्पिया रिपोर्ट नही की गई और सम्मन को अधिनस्थ न्यायालय में पेश कर दिये गए ।यह कि उक्त पत्रावली में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 22–1–2019 को पी ओ साहब के अवकाश पर होने के कारण उक्त पत्रावली में दिनांक 19–02–2019 को आगामी तारीख नियत कर दी गई । दिनांक 19–02–2019 को गुलाबपुरा बार की हडताल होने से उक्त पत्रावली दिनांक 26–03–2019 को

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

नियत की गई उसके बाद दिनांक 26–03–2019 को अधिनस्थ न्यायालय में पी ओ साहब चुनाव कार्य में व्यस्त होने से उक्त पत्रावली में आगामी तारीक दिनांक 21–05–2019 नियत की गई ।

11. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट प्रतिवादी के सम्मन जो उसको पूर्ण रुप से तामील नही हुए थे और न ही उसमे तामील कुनिन्दा द्वारा हल्फिया रिपोर्ट की गई थी उसके बावजुद भी अधिनस्थ न्यायालय ने 5 माह पुरानी तामील को मानते हुए अपीलान्ट प्रतिवादी के विरुध व अन्य प्रतिवादीगण के विरुध एक पक्षीय कारवाई के आदेश पारित कर दिए गए जो कानून की मंशा के विपरित होने से विधि विरुध है ।

12. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि इसके बाद अधिनस्थ न्यायालय ने वादी की एक पक्षीय साक्ष्य के आधार उपर वर्णित आराजियात का विभाजन का आदेश पारित कर दिया गया ।

13. अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का य एवं प्रारंभिक डिकी दिनांक 01.07.2019 निरस्त किया जाने व पुनः रिमाण्ड करने का आदेश प्रदान फरमावे।

14. हमनें प्रत्यर्थीगण के अनुपस्थित रहने पर अपीलार्थी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात राजस्व रेकार्ड का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया । अपीलार्थी ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय दिनांक 01.07.2019 की अपीलान्ट प्रतिवादी को कोई जानकारी नहीं थी। हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 02.01.2021 को अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की पालना हेतु मौके पर बुलाया गया तब अपीलान्ट को उक्त निर्णय की प्रथम बार जानकारी हुई। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गए निर्णय दिनांक 01.07.2019 से तारीख जानकारी दिनांक 02.01.2021 तक के समय को कन्डोन किया जाना आवश्यक होकर न्यायहित मे है।

15. अतः निवेदन है कि अपीलार्थी वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानी जावे। 7प्रत्यर्थी की ओर से रिबटल में ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे अपीलार्थी द्वारा अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है उसका खण्डन होता हो। अपीलार्थी ने अपील

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह युक्तियुक्त होने से न्यायहित में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानी जाती है।

16. हमनें प्रत्यर्थीगण के अनुपस्थित रहने पर अपीलार्थी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात राजस्व रेकार्ड का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया । बहस का मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय के रेकार्ड अनुसार पक्षकारों को विधिवत तामिल हुई है। तामील का निस्तारण विधिवत आवाज लगाकर पत्रावली की आदेशिका पर किया गया है। प्रकरण मे प्राथमिक डिक्री इस आश्य से पारित की गई है कि काश्तकारों के हक हिस्से अनुसार अच्छी मे से अच्छी व बुरी मे से बुरी के आदेश दिये गए है। जो विधिसम्मत है। इससे किसी पक्षकार को कोई हानि प्रतित नहीं होती है। यदि पक्षकार को फिर भी कोई आपत्ति रहती है तो अंतिम डिक्री से पूर्व पेश करने का अवसर प्राप्त है। व विभाजन प्रस्ताव के समय मौके पर उपस्थित रहकर अपने हितों का संरक्षण कर सकता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत है जिसमे हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते है।

आदेश

अतः अपील अपलार्थी सारहीन होने से अस्वीकार की जाती है। एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.07.2019 को यथावत रखा जाता है।

17. आदेश खुले न्यायालय में लिखाया जाकर आज दिनांक 18.02.2026 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(पी0आर0मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
भू सम्बन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा